8. अनेकार्थता

कभी कोई शब्द नवीन अर्थ धारण कर लेता है किन्तु प्राचीन अर्थ को भी नहीं छोड़ता। अतः दो तीन अर्थ साथ-साथ चलते हैं। जड़, मूल, धातु, तार आदि अनेकार्थी शब्द हैं।

9. रूपक

रूपक्को में सदैव अर्थ परिवर्तन हो जाता ह। 'वह गधा है', 'पंजाब का शेर', 'आज कमल मुरझाया है'– इन वाक्यों में गधा, शेर, कमल दूसरा अर्थ रखते हैं।

10. एकोच्चरित समूह

भ्रमवश कई शब्द एक साथ सामूहिक रूप से उच्चरित होने लगते हैं। जैसे – 'ओनामासीधम' (ऊँ नमः सिद्धम्)

7. अर्थ परिवर्तन या विकास के मुख्य कारण

भाषा मनुष्य के विचारों को मूर्त करती है। अतः विचारों में परिवर्तन होने पर भाषा के शब्दों में भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अर्थ परिवर्तन का मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक है। भाषा में अर्थ व्यापार का सम्बन्ध बहुत कुछ मुनष्य की मानसिक स्थितियों से है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने अर्थ परिवर्तन के कारण रूप में लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का सूक्ष्मतम विवेचन किया है। अतः प्रायः सभी कारण लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के भेदों में अन्तर्निहित हो जाते हैं। अन्य भाषा प्रभाव आदि कारण उनके विचाराधीन नहीं थे।

शब्दों के अर्थों में जो परिवर्तन, संवर्धन, ह्रास, उत्कर्ष या अपकर्ष होता है उसके विद्वानों ने तीस से अधिक कारण बताए हैं। डॉ0 तारापोरवाला ने अपनी पुस्तक में प्रो0 टकर के अनुसार 12 कारण माने हैं। अन्य अनुसंधानों को भी समन्वित करते हुए यहाँ अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारणों को ही सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

(1) शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति और वातावरण–शिष्टाचार के कारण ही आपके अर्थ में 'श्रीमान्' या 'हुजूर' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

प्रारंभ में भारतवासी पत्ते पर लिखा करते थे, फिर 'भूर्ज' वृक्ष की छाल पर लिखने लगे। सभ्यता विकसित हुई तो कालान्तर में पतली और मुलायम वस्तुओं पर लिखने की प्रथा चल पड़ी। इसीलिए पत्र, पत्तर, पतला आदि शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में चल पड़े। इन सबके मूल में 'पत्र' शब्द ही है। पत्र=पत्ता, पत्र=चिट्ठी। पत्तर= सोने चाँदी का पर्त। पतला= बारीक, जो मोटा न हो।

विभिन्न संस्कृतियों तथा जातियों के मिलने से शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तब अर्थों में परिवर्तन हो जाता है जैसे– फारसी का 'मूर्ग'(चिड़िया) हिन्दी भाषियों में आकर 'मूर्गा' बन गया। 'असुर' शब्द जो देववाची था, वह राक्षसवाची हो गया। द्रविड़ भाषा का 'पिल्ला' (बालक) शब्द हिन्दी में 'कुतिया का बच्चा' के लिए है। संस्कृत का 'देव' इरानी भाषा में 'राक्षस' के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।

भौगोलिक, सामाजिक और प्रथा सम्बन्धी वातावरण से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। भौगोलिक कारणों से ही अँग्रेजी के 'कॉर्न' (अन्न) शब्द का अर्थ इंग्लैंड अमेरिका में 'मक्का' है तो स्काटलैंड में 'बाजरा' हो गया। सामाजिक वातावरण के कारण कई शब्दों के अर्थ बदल गए हैं जैसे अस्पताल में अँग्रेजी के 'सिस्टर' शब्द का अर्थ 'बहन' नहीं है। साइकिल की मरम्मत करने वाला 'मास्टर' अध्यापक नहीं है। पति अपनी पत्नी से जब 'भाई' सम्बोधन करता है तब वहां 'भ्राता' का अर्थ नहीं है। प्रथा सम्बन्धी कारणों में जब पुरोहित जी लालाजी से कहते हैं– 'यजमान! गंगा स्नान कब चलोगे।' तब 'यजमान' शब्द का अर्थ 'यज्ञ करानेवाला नहीं है।

उक्त शब्दों के अर्थ में जो विशिष्ट परिवर्तन हुआ है, उसका कारण संस्कृति, सभ्यता, वातावरण और प्रसंग ही हैं।

(2) अलंकार और व्यंग्य–जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को अलंकृत भाषा में या व्यंग्योक्ति में व्यक्त करता है तब भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 'गुरुगरीयान्' एक अलंकृत शब्द है, जिसका अर्थ है 'महाचंट, चालाक'। इसी प्रकार तीन हाथ की बुद्धिवाले, 'अक्ल के खजाना', 'अक्ल की पुड़िया', 'पूरे पंडित' 'पूरे महात्मा' 'बड़े महाशय' इन सभी का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान किन्तु व्यंग्योक्ति के कारण वे 'मूर्ख' के लिए प्रयुक्त होते हैं।

इसी प्रकार 'पूरे युधिष्ठिर के अवतार' का अर्थ असत्यवादी,, 'लक्ष्मी के पति' का अर्थ 'दीन', 'धर्मावतार' का अर्थ 'अधर्मी' है।

गन्दे और घटिया मनोवृत्ति के मनुष्य के लिए कभी-कभी 'चमार' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

आलंकारिक प्रयोगों में 'कसाई' का अर्थ निष्ठुर, 'बनिया' 'महालोभी' के अर्थ में या 'कंजूस' के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

(3) नयी वस्तुओं का निर्माण और उनके नाम– अँग्रेजी में 'शीशे के लिए 'ग्लास' शब्द है। हिन्दी में उसे 'गिलास' कहने लगे। इसी प्रकार अँग्रेजी 'पैन' शब्द का अर्थ है– पंख का बना हुआ। पंख से बनी हुई चीज (पेन) कहलायी, किन्तु बाद में लिखने की लेखनी लोहा आदि अन्य धातुओं से बनने लगी। अतः आज 'पैन' का अर्थ लेखनी के अर्थ में बड़ा व्यापक हो गया है।

अँग्रेजी शब्द 'कैरियर' का अर्थ है– 'ले जाने वाला। साइकिल का आविष्कार हुआ। उसके पिछले पहिए के ऊपर सामान आदि रखने के लिए जो वस्तु लगाई गई, वह भी 'कैरियर' ही कहलायी।

'स्याही' का अर्थ था– काले रँग का द्रव पदार्थ, अब 'लाल स्याही', 'नीली स्याही' भी प्रयोग में आने लगा।

(4) उच्चारण की संक्षिप्तता– मनुष्य की इस प्रवृत्ति ने बहुत से शब्दों को छोटा कर दिया है। जैसे– 'स्टेशन' शब्द का अर्थ है रुकने या ठहरने का स्थान, लेकिन अब 'रेलवे स्टेशन' के लिए प्रयुक्त होता है।

इसी प्रकार 'मोटरकार' के लिए 'कार' 'प्रिंसिपल टीचर' के लिए प्रिंसिपल, 'जवाहरलाल नेहरू' के लिए 'पं. नेहरू' शब्द उच्चारण की संक्षिप्तता के कारण प्रयुक्त होते हैं।

(5) अज्ञान – अज्ञान के कारण संस्कृत के अनेक शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। संस्कृत का "धन्यवाद" (प्रशंसा) हिन्दी में 'शुक्रिया' हो गया। अज्ञान के कारण ही लोग विन्ध्याचल पर्वत, बोलते हैं। जबकि पर्वत का नाम 'विन्ध्य' है। 'अचल' पर्वत का पर्यायवाची है।

पाश्चात्य के आधार पर अज्ञान से किसी ने 'दाक्षिणात्य' और 'पौर्वात्य' शब्द बना लिए और प्रयुकत भी होने लगे। 'दाक्षिणात्य' का अर्थ दक्षिण का रहने वाला, 'पौर्वात्य' का अर्थ पूर्व का रहने वाला। पाश्चात्य में 'पश्चात्' शब्द है। 'यञ्' प्रत्यय के योग से 'पाश्चात्य' शब्द बनता है। 'दक्षिण' और 'पूर्व' शब्द में तो अन्त में 'त्' है नहीं। अतः दाक्षिणात्य' 'पौर्वात्य' शब्द नहीं बनेगें। फिर भी अज्ञान ने नये शब्द दिए।

(6) साहित्यकारों की नवीन उद्भावना– साहित्यकार प्रायः नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे– 'आकाशवाणी' देववाणी के लिए प्रयुक्त होता है। हिन्दी के महाकवि पन्त ने 'रेडियो स्टेशन' के लिए 'आकाशवाणी केन्द्र' शब्द बना दिया और चल पड़ा।

अँग्रेजी शब्द 'कन्सैप्ट ऑफ रस' के समानान्तर डॉ0 नगेन्द्र ने हिन्दी में 'रस-परिकल्पना' शब्द चालू कर दिया और वह अब चल भी रहा है। इसी प्रकार 'ट्रेजेडी' के लिए 'त्रासदी', 'कॉमेडी' के लिए 'कामदी' 'एकेडेमी' के लिए 'अकादमी' शब्द चल पड़े जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इसी प्रकार 'एयर' होइस्टैस' के लिए 'व्योमबाला' 'सेमीनार' के लिए 'संगोष्ठी' शब्द प्रयोग में आने लगा है। 'गोष्ठी' का मूल अर्थ 'गायों के रहने की जगह' है अब 'गोष्ठी' सभा या सम्मेलन के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

(7) अशोभन या अमंगल का दूरीकरण– शोभन की भावना से ही 'मृत' के लिए स्वर्गवासी आदि, दुकान बन्द करने के लिए 'दुकान बढ़ाना', दिया बुझाने के लिए 'दिया बढ़ाना' प्रयुक्त किया जाता है।

मुसलमानों में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो प्रायः इस प्रकार पूछा जाता है–

'क्या हुजूर के दुश्मनों की तबीयत अलील है ?' अमंगल निवारण के लिए 'क्या आप बीमार हैं' के स्थान पर उक्त वाक्य प्रयुक्त होता है।

(8) संपर्क या साहचर्य– 'अरुण' शब्द सूर्य के सारथी का नाम है, उसका वर्ण लाल है। सूर्य अपने रथ में 'अरुण' के पास बैठता है। इसी साहचर्य–संपर्क के कारण सूर्य को भी अरुण कहने लगे।

(9) सादृश्य– सादृश्य के कारण भी कभी–कभी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ब्रजभाषा में 'रेलवे टिकिट' के लिए 'टिकस' शब्द का प्रयोग होता है। अँग्रेजी 'टैक्स' से ध्वनिसाम्य होने के कारण 'टिकस' का प्रयोग 'टैक्स' के अर्थ में भी होता है।

'प्रश्रय' का संस्कृत में अर्थ था– विनय, शिष्टता, नम्रता। 'आश्रय' शब्द इससे मिलता–जुलता है, अतः 'आश्रय' या 'सहारा' अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा।

रूप सादृश्य अथवा कार्य सादृश्य के कारण भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे – घड़े का मुँह, सुराही की गर्दन, आरी के दाँत, नदी का पेट, सितार के कान, पेड़ का धड़, 'कुर्सी के हाथ' में प्रयोग करने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है।

(10) वर्ग या जातिसूचक शब्द– हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एकलिंग विशेष में होता है, लेकिन उनके अर्थ में दोनो लिंग (स्त्रीलिंग-पुलिंग) निहित रहते हैं।

लोमड़ी, कोयल, चींटी, चील आदि ऐसे ही शब्द हैं। इनके प्रयोग से अर्थ पुलिंग से भी लिया जाता है किन्तु ये शब्द है स्त्रीलिंग।

इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं, जो पुलिंग हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनमें स्त्रीलिंग का भी भाव निहित है। कौआ, भेड़िया, तोता, बाज, उल्लू आदि ऐसे ही शब्द हैं।

(11) अंगसूचक अंगी शब्द– 'घुटना' अंग है और 'टाँग' अंगी है। 'कलाई' अंग है और 'बाँह' अंगी है। घुटने में चोट लगने पर कहा जाता है कि 'टाँग' में चोट लग गयी। यहाँ 'टाँग' का अर्थ 'घुटना' है। इसी प्रकार 'कलाई' टूटने पर कहा जाता है कि 'बाँह टूट गयी'। यहाँ 'बाँह' का अर्थ 'कलाई' है।

(12) वाक्यस्तरीय संहिता– अलग-अलग दो स्वतंत्र शब्दों और दो सम्मिलित शब्दों के उच्चारण से भी अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे– सिरका=सिर का, तुम्हारे=तुम हारे, होली=हो ली।

इसी प्रकार 'गुजरना' और 'जाना' क्रियाएँ एक ही अर्थ रखती हैं किन्तु दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में बोलें तो 'गुजर जाना' का अर्थ 'मर जाना' हो जाता है। इसे ही संहिता या संगम भी कहते हैं।

(1) पहना गया

(2) पहना / गया

दोनों के अर्थ भिन्न हैं।

(13) प्रयोग भेद से अर्थ भेद– प्रयोग भेद से भी अर्थ बदला जाता है। प्रत्यय, उपसर्ग, प्रातिपदिक के प्रयोग भेद से अर्थभेद हो जाता है। जैसे–

तुमने यह कैसा 'ताला' (ताल+आ) दे दिया है।

यह 'ताली' (ताल+ई) किसी काम की नहीं।

इसी प्रकार

लोहे का 'डोल' तो अच्छा है लेकिन कहार की वह 'डोली' अच्छी नहीं है।

अन्य अर्थ परिवर्तन के कारण इस प्रकार हैं–

(14) नम्रता प्रदर्शन– दौलतखाना, पधारना, दर्शन

(15) भावावेश– राम राम, पाजी, बेटा आदि।

(16) शब्दों में अर्थ का अनिश्चय– आर्य, चौबे, सेठ, अहिंसा आदि।

(17) व्यक्तिगत योग्यता– धर्म, ईश्वर, पाप–पुण्य, अच्छा–बुरा आदि।

(18) साहचर्य– सिन्धु, कलिंग, महाराष्ट्र आदि

(19) अन्धविश्वास– चेचक को शीतला, हैजे को पेट चलना, पति के लिए अमुक के पिता आदि।

(20) हीन कार्य– भंगी को मेहतर, चोर को तस्कर कहना आदि।

टकर ने लिखा है कि "शब्द तो एक प्रकार का सिक्का है, पर ऐसा सिक्का जिसका कोई मूल्य निश्चित नहीं है। बोलने वाला उसे दो रुपये का समझ सकता है और सुननेवाला अपनी योग्यतानुसार उसे तीन या एक रुपये का समझ सकता है।" तात्पर्य यह है कि शब्दों में अस्थायी रूप से उतार–चढ़ाव आते रहते हैं।